छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2010 (श्रावण 5, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री विक्रम उसेण्डी, वन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

3. जनवरी-मार्च, 2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

4. नियम 267- क के अधीन जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-32, मस्तूरी से निर्वाचित सदस्य, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, को जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र में दिनांक 26 जुलाई से 3 अगस्त, 2010 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

क्रमश: 2

8. प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम- 223 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि के लिए प्राक्कलन समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।"

9. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ताविहीन सड़कों का निर्माण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, महानदी में बैराज निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

10. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय
1 घंटा 30 मिनट

प्रदेश में खरीफ फसल हेतु खाद एवं बीज का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 26 जुलाई, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.